

लीज अवधि प्रमाण-पत्र

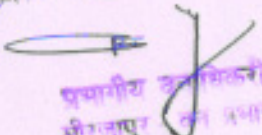
प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि० (उ०प्र० सरकार का उपक्रम) द्वारा 132 के०वी० जिगना-दादर कला ट्रान्समिसन लाईन के निर्माण हेतु कुल 6.5475 हे० आरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उससे प्रभावित 02 वृक्षों के पातन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति की आवश्यकता है।

इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 6.5475 हे० वनभूमि को 30 वर्षों की लीज अवधि के लिये लीज पर लेने की आवश्यकता है। इसके लिये सरकार द्वारा जो मूल्य/प्रीमियम/लीज रेंट का निर्धारण किया जायेगा, उसे समय-समय पर भुगतान किया जायेगा।

उक्त के अलावा ट्रान्समिसन लाईन निर्माण हेतु अन्य कोई विकल्प नहीं है।


 अधिशासी अभियन्ता
 विद्युत प्रेषण खण्ड
 उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि०
 अधिशासी अभियन्ता
 विद्युत प्रेषण खण्ड
 उ०प्र० पा० ट्रा० का० लि०
 मीरजापुर

प्रति हस्ताक्षरित


 प्रणवीश कुमार
 मीरजापुर का वन
 मीरजापुर